UPSI010101182018

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।

उपस्थित – आशीष जैन (एच०जे०एस०)
(J.O.Code UP02024)
सत्र परीक्षण संख्या–456/2018
CIS No. 456/2018

सरकार उ0प्र0 **––अभियोजक।**

बनाम

1. कन्धई उम्र 40 वर्ष पुत्र देशराज निवासी ग्राम लोनियनपुरवा थाना सदरपुर जिला सीतापुर।

2. देशराज उम्र 45 वर्ष पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम लोनियनपुरवा थाना सदरपुर जिला सीतापुर।

3. रमेश उम्र 30 वर्ष पुत्र देशराज निवासी ग्राम लोनियनपुरवा थाना सदरपुर जिला सीतापुर।

4. रमापति उम्र 21 वर्ष पुत्र देशराज निवासी ग्राम लोनियनपुरवा थाना सदरपुर जिला सीतापुर।

––अभियुक्तगण।

मु0अ0सं0–209/2018
धारा–306,201 भा0दं0सं0
थाना– सदरपुर जिला–सीतापुर।

अधिवक्तागण :–

राज्य की ओर से : श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला,
जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ0)

अभियुक्तगण की ओर से :
श्री मो0युसूफ

निर्णय

थाना सदरपुर जनपद सीतापुर की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण **कन्धई, रमेश, रमापति एवं देशराज** के विरूद्व आरोप पत्र मुकदमा अपराध संख्या 209/2018 अर्न्तगत धारा 306,201 भा0दं0सं0 के तहत न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर को प्रेषित किया गया, जिसे विचारण हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा दिनॉक 01.12.2018 को सत्र सुपुर्द किया गया है।

CNR:UPSI010101182018 District & Sessions Judge
Sitapur.

Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.05.16 18:04:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,STP.

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि तहरीर (प्रदर्श क–1) वादी मुकदमा प्यारे लाल पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम थानगॉव थाना थानगॅव जिला सीतापुर द्वारा हस्तलिखित प्रार्थनापत्र दिनॉक 22.08.2018 को थाना सदरपुर में इस आशय का दिया गया है कि '' प्रार्थी प्यारे लाल पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम व थाना थानगॉव जिला सीतापुर का निवासी है। मैंने अपनी पुत्री शकुन्तला देवी की शादी अरसा करीब 11 वर्ष पहले कन्धई पुत्र देशराज निवासी ग्राम लोनियनपुरवा, मजरा अहिबनपुर, थाना सदरपुर, जिला सीतापुर के साथ किया था। मेरी बेटी को ससुराल में उसके पति कन्धई, देवर रमेश, देवर रमापति व ससुर देशराज पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम लोनियनपुरवा, मजरा अहिबनपुर, थाना सदरपुर, जिला सीतापुर बात–बात पर प्रताड़ित करते थे। यह बात हमारी बेटी जब घर आती थी तो बताती थी। हम लोग समझा–बुझाकर उसे ससुराल भेज देते थे। दिनांक 21/22.08.2018 की रात्रि में उपरोक्त विपक्षीगण द्वारा मेरी बेटी शकुन्तला की हत्या कर उसके शव को जला दिये हैं। सूचना मिलने पर जब हम लोग लोनियनपुरवा पहुँचे तो मेरी बेटी की लाश जल चुकी थी। मेरा मुकदमा लिखकर कार्यवाही करने की कृपा करें।''

वादी मुकदमा की लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना सदरपुर की पुलिस द्वारा मामले में प्रदर्श क–6 रपट संख्या 15 समय 10.35 बजे दिनॉक 22.08.2018 पर दर्ज की गयी। तदुपरान्त मुकदमा अपराध संख्या 209/2018 अर्न्तगत धारा 302,201 भा0दं0सं0 थाना सदरपुर में दर्ज किया गया। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट किता कर अभियुक्तगण **कन्धई, रमेश, रमापति एवं देशराज** के विरूद्व धारा 302,201 भा0दं0सं0 थाना सदरपुर जिला सीतापुर में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

दौरान विवेचना गवाहान के बयान अंकित कर विवेचक द्वारा घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–2 तैयार किया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर नामित अभियुक्तगण **कन्धई, रमेश, रमापति एवं देशराज** के विरूद्व प्रथमदृष्टया साक्ष्य पाये जाने पर विवेचक द्वारा अन्तर्गत धारा 306,201 भा0द0सं0 के अर्न्तगत आरोप पत्र प्रदर्श क–4 न्यायालय में प्रेषित किया।

अभियुक्त **कन्धई, रमेश, रमापति एवं देशराज** के विरूद्व विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 19.12.2018 को आरोप अंतर्गत धारा 306,201 भा0दं0सं0 का विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया, समझाया गया।

अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने केस के समर्थन में निम्नांकित अभियोजन साक्षी परीक्षित कराये गये हैः–

1–	अभियोजन साक्षी संख्या–1	प्यारे लाल वादी मुकदमा
2–	अभियोजन साक्षी संख्या–2	राम प्यारी
3–	अभियोजन साक्षी संख्या–3	पप्पू
4–	अभियोजन साक्षी संख्या–4	सुनील कुमार
5–	अभियोजन साक्षी संख्या–5	उ0नि0सूर्यबली पाण्डेय
6–	अभियोजन साक्षी संख्या–6	मायावती
7–	अभियोजन साक्षी संख्या–7	एच.एम. राम मनोहर वर्मा

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित अभिलेख दाखिल किये गये हैः–

1–	तहरीर प्रदर्श क–1	(पी0डब्लू–1 वादी मुकदमा)
2–	नक्शा नजरी प्रदर्श क–2	(पी0डब्लू–5 नि0सूर्यबली पाण्डेय)
3–	नक्शा नजरी प्रदर्श क–3	(पी0डब्ल्यू–5 नि0सूर्यबली पाण्डेय)
4–	आरोप पत्र प्रदर्श क–4	(पी0डब्ल्यू–5 नि0सूर्यबली पाण्डेय)
5–	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	(पी0डब्ल्यू–7 राम मनोहर)
6–	जी0डी0प्रिंट आउट	(पी0डब्ल्यू–7 राम मनोहर)

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 29.04.2026 को अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत व निराधार बताते हुये विवेचक द्वारा विवेचना त्रुटिपूर्ण किया जाना कहा है। अभियुक्तगण ने साक्षीगण द्वारा रंजिशवश साक्ष्य दिया जाना तथा स्वयं को निर्दोष होने का कथन किया गया है तथा रंजिश के कारण उक्त मुकदमें में फॅसाया जाना कहा है। जिसके सम्बंध में अभियुक्तगण द्वारा सफाई में साक्ष्य दिये जाने का कथन किया गया है।

मैनें अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण **कन्धई, रमेश, रमापति एवं देशराज** का

विचारण धारा 306,201 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध के लिये आरोपित करते हुये विचारण किया गया है।

दाण्डिक न्याय शास्त्र का पूर्णतयाः तय सिद्वान्त है कि अभियोजन को अभियुक्तगण के विरूद्व अपराध के आवश्यक तत्व को विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है और यदि अभियोजन अपने इस दायित्व में विफल रहता है तो इसका लाभ अभियुक्तगण को अवश्य मिलना चाहिये।

उक्त के संदर्भ में प्रस्तुत मामले में सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षियों के अभिकथनों के बाबत दिये गये तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभिलेखीय साक्ष्य के आलोक में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये सभी साक्षियों के अभिकथनों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है जिसका क्रमवार विवरण अग्रवत है :–

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू01 वादी मुकदमा प्यारे लाल** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

''मेरी मृतका लड़की का नाम शकुन्तला देवी था, जिसकी शादी आज से करीब 12 साल पूर्व हुई थी। इसकी शादी मैंने कन्धई पुत्र देशराज के साथ किया था। मेरी बेटी के ससुराल में उसके पति कन्धई, देवर रमेश व रमापति व ससुर देशराज शादी से मरने तक आये दिन बात–बात पर प्रताड़ित करते रहते थे। यह प्रताड़ना की बात मुझे जब मेरी लड़की मायके आती थी, तब हम लोगों से बताती थी और हम लोग समझा–बुझाकर लड़की को ससुराल भेज दिया करते थे कि सब ठीक हो जायेगा। आज से करीब 08 माह पूर्व मेरी लड़की शकुन्तला देवी को उपरोक्त चारों मुलजिमान कन्धई आदि ने हत्या करके शव को जला दिये हैं। सूचना पाकर मैं अपने परिवार के साथ लड़की की ससुराल गया, जहाँ मेरी बेटी की लाश जल चुकी थी। तब मैंने एक अज्ञात व्यक्ति से घटना की तहरीर बोलकर लिखायी थी और लिखने वाले ने उस तहरीर पर मेरी निशानी अंगूठा लगवाया था और तब मैंने थाने पर प्रार्थनापत्र देकर थाना सदरपुर में मुकदमा लिखाया था। साक्षी को तहरीर शामिल पत्रावली कागज संख्या 4क3 पढ़कर सुनायी व दिखायी गयी तो साक्षी ने सुनकर लिखे मजमून व उस पर अपने निशानी अंगूठा की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। पुलिस वालों ने मुझसे पूछताछ की और मेरी निशानदेही पर नक्शा तैयार किया था।''

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू02 रामप्यारी** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

''मेरी मृतका लड़की का नाम शकुन्तला देवी था। मेरी लड़की की शादी मरने से 10–11 साल पहले कन्धई पुत्र देशराज के साथ हुई थी। मेरी लड़की के एक लड़का पाँच साल का है। मेरी लड़की की उसके पति, देवर व ससुर से कभी–कभार कहा–सुनी हो जाती थी। मेरी लड़की ने आज से लगभग 8–9 माह पूर्व रात में अपनी ससुराल में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी। हम लोगों को बिना सूचना दिये लड़की की लाश को रात में ही उसके पति , ससुर व देवर आदि ने जला दिया था। सुबह जानकारी होने पर हम लोग लड़की की ससुराल गये तो वहाँ पर जाकर देखा कि मेरी लड़की की लाश जल चुकी थी, उसके ससुरालीजन घर से भाग चुके थे। तब मेरे पति थाने गये थे और थाने पर जाकर मुकदमा लिखाया था। लड़की के मरने के काफी दिन बाद उसके पति आदि और रिश्तेदार को लेकर मेरे घर पर आये थे और काफी खुशामद बरामद की थी और रोते थे और गलती की माफी मांग रहे थे तब मेरे पति ने अपना व मेरा एक शपथ पत्र बनवाया था, जिस पर मैंने अपना निशानी अंगूठा लगवाया था। पुलिस वालों ने मुझसे पूछताछ की थी ''

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू03 पप्पू** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

''मृतका मेरी छोटी बहन थी, उसका नाम शकुन्तला देवी था, जिसकी शादी मेरे माता–पिता ने आज से करीब 11–12 साल पूर्व कन्धई के साथ किया था। मेरी बहन के लड़का भी हुआ था। हमारा बहनोई कन्धई लखनऊ में मजदूरी करते हैं। आज से लगभग 09 माह पूर्व मेरी बहन शकुन्तला व बहनोई कन्धई के मध्य रात्रि में किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था। तभी मेरी बहन ने गुस्से में आकर गाँव के बाहर आम के पेड़ में जाकर फांसी लगा ली थी। मेरी बहन के ससुर, देवर, पति कन्धई आदि ने बिना हम लोगों को सूचना दिए रात में ही लाश को जला दिया था। जब मेरे पिताजी व अन्य परिवारीजनों को दिनाँक 22.08.2018 को प्रातः जानकारी हुई तब हम लोग अपनी बहन की ससुराल गये, तो मेरी बहन की चिता जल रही थी और पति व उनके दोनों देवर व ससुरालीजन घर पर कोई मौजूद नहीं था और भाग गये थे। तब मुझे व मेरे माता–पिता आदि को शक हुआ कि मेरी बहन की हत्या कर पति, देवर, ससुर आदि ने मिलकर शव को जला

दिये हैं। मेरे पिताजी ने थाने जाकर एक प्रार्थनापत्र दिया था और हत्या करने का मुकदमा लिखाया था। लेकिन मुझे बाद में जानकारी हुई कि मेरी बहन शकुन्तला ने अपने पति, देवर, ससुर से हुए झगड़े के कारण पीड़ित होकर स्वयं रात्रि में फांसी लगा ली थी, जिससे वह मर गई थी। मेरी बहन को कन्धई, रमेश, रमापति व देशराज ने मिलकर पुलिस को बिना सूचना दिये मेरी बहन की लाश को जला दिया था। बहन के ससुराल वाले व अन्य रिश्तेदार को लाकर समझौता के लिए दबाव बनाने लगे और गलती की माफी माँगने लगे। हमारे पिताजी व माता जी को सुलह करने हेतु 05.09.2018 को लेकर सीतापुर गये थे। शायद वहाँ कुछ लिखा–पढ़ी भी करायी थी। इस बात की जब हम लोगों को जानकारी हुई तो माता–पिता को हमने काफी फटकारा था और उपरोक्त चारों मुलजिमान कन्धई आदि ने मानसिक रूप से मेरी बहन को प्रताड़ित किया था, इनको सजा मिलनी चाहिए, इस बाबत मैंने अपने माता–पिता से कहा था। दारोगा जी ने मेरा बयान लिया था ''

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू04 सुनील कुमार** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

''मेरी बहन का नाम शकुन्तला देवी था। उसकी शादी आज से 12 साल पूर्व कन्धई के साथ हुई थी। मेरी बहन का एक लड़का 5–6 साल का है, जिसका नाम अमित है। घटना वाले दिन मेरी बहन को उसके पति कन्धई, देवर रमेश व रमापित तथा ससुर देशराज ने दिनाँक 21.08.2018 को मारा–पीटा था, जिस कारण मेरी बहन ने गुस्से में आकर गाँव के बाहर आम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। रात में ही ससुरालीजन बहनोई आदि बिना हम लोगों व पुलिस को सूचना दिये रात में ही लाश को जला दिया था। सुबह जानकारी मिलने पर मैं भी मौके पर गया, जहाँ पर मेरे माता–पिता, भाई व परिवारीजन मौजूद थे और लाश जल चुकी थी। मेरी बहन के ससुरालीजन घर से भाग गये थे। इस कारण हम लोगों को शंका हुई कि मेरी बहन की हत्या कर लाश को जला दिया है। मेरे पिताजी ने थाने पर जाकर मुकदमा लिखाया था। सत्यता यह थी कि मुलजिमान कन्धई, रमेश, रमापति व देशराज की प्रताड़ना से मेरी बहन ने फांसी लगा ली है। मेरे घर पर कन्धई, रमेश, रमापति व देशराज व उनके रिश्तेदार आये थे और काफी खुशामद किये थे और दिनांक 05.09.2018 को मेरे माता–पिता को सीतापुर लाकर लिखा–पढ़ी करा लिये थे। मेरे माता–पिता अनपढ़ हैं और मुलजिमानों को सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की

थी। मेरी बहन को मरे हुए आज से लगभग 09 माह हो गये हैं।।''

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू05 निरीक्षक सूर्यबली पाण्डेय** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

''दिनांक 22.08.2018 को मैं थाना सदरपुर में प्रभारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। मु०अ०सं०–209/2018, अन्तर्गत धारा–302,201 भा०दं०सं० सम्बन्धित थाना सदरपुर बनाम कन्धई आदि, जो मेरी अदम मौजूदगी में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना हेतु नकल चिक, नकल रपट प्राप्त कर अवलोकन कर केस डायरी में अंकित किया। तत्पश्चात लेखक एफ०आई०आर० हे०मो० राममनोहर वर्मा के बयान अंकित किये। वादी मुकदमा थाना परिसर में ही उपस्थित थे, जिससे पूछताछ कर उसके बयान केस डायरी में अंकित किये। तत्पश्चात वादी मुकदमा प्यारेलाल पुत्र खुशीराम के साथ घटनास्थल जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं नक्शानजरी तैयार किया। तत्पश्चात वादी द्वारा वह स्थान जहाँ पर वादी की लड़की का जलाना बताय गया, उस स्थान का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार किया। आवश्यक संकेत अंकित किये। दोनों नक्शानजरी शामिल पत्रावली आज मेरे सामने हैं, जिन पर बने अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–3 डाला गया। तत्पश्चात समई साक्षी कामता व सोनेलाल के बयान अंकित किये। अभियुक्तगणों की तलाश की, परन्तु दस्तयाब नहीं हुए। दिनांक 02.09.2018 को ग्राम लोनियनपुरवा जाकर साक्षी श्रीराम, श्रीमती बबली, मृतका की सास श्रीमती मायावती, स्वतन्त्र साक्षी श्रीमती सीमा देवी के बयान अंकित किये। साक्षी सीमा देवी द्वारा बताया गया था कि मृतका की लाश आम के पेड़ से लटकी हुई मिली थी। रात्रि में ही बिना पुलिस व लड़की के मायके को सूचना किये बगैर कन्धई आदि ने अन्तिम संस्कार कर दिया था। लड़की के मायके वाले सुबह आये थे और मुकदमा लिखाया था। अभियुक्तगणों की तलाश हेतु मुखबिर को मामूर किया। विवेचना एवं बयान साक्षियों के आधार पर धारा 302 भा०दं०सं० का अपराध होना नहीं पाया गया। अतः धारा 302 भा०दं०सं० की घटोत्तरी की गयी एवं धारा 306 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी एवं अग्रिम विवेचना भा०दं०सं० की धारा 306,201 के अन्तर्गत प्रारम्भ की गयी। अभियुक्तगणों को तलाश किया, परन्तु दस्तयाब नहीं हुए। दिनांक 19.11.2018 को पर्चा सं०–10 किता किया गया, जिसमें उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर पर्याप्त साक्ष्य अन्तर्गत धारा 306,201 भा0दं0सं0 का पाये जाने पर अभियुक्तगण कन्धई, रमेश, रमापति व देशराज के

विरूद्ध आरोप पत्र सं०–211/2018 न्यायालय में प्रेषित किया। उक्त कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट आरोप पत्र पर मेरे हस्ताक्षर में शामिल पत्रावली है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।'

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू06 मायावती** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

''मेरी बहू का नाम शकुन्तला था। आज से करीब सवा साल पहले की घटना है, मेरी बहू काफी बीमार चल रही थी। मेरा उपचार मेरे लड़के कन्धई व रमेश लखनऊ में करवा रहे थे तथा कन्धई व रमेश लखनऊ में ही काम करते हैं। मैं दवा लेने लखनऊ गयी थी। दिनांक 21.08.2018 को रमेश के साथ दोपहर के समय वापस घर आ गयी थी और कन्धई ड्यूटी पर चला गया था। शाम को दवा खाकर हम लेट गये थे। रात में करीब 9 से10 बजे कन्धई घर आया था तथा रमेश को अपनी पत्नी के साथ लेटा पाने पर दोनों भाई आपस में मारपीट करने लगे। हमने छुड़ाने का प्रयास किया था। उसी बीच कन्धई की औरत शकुन्तला घर से भाग गयी थी। झगड़ा शान्त करने के बाद कन्धई अपनी औरत की तलाश करने लगा। काफी देर तक तलाश करने के उपरान्त कन्धई की औरत की लाश मैकू के आम के खेत में लटकी मिली थी। हमारी बहू व मेरे लड़के व मेरे पति का दिमाग काम नहीं किया था। बिना पुलिस बुलाये व लड़की के घर वालों को खबर किये बिनी हम लोगों ने शकुन्तला का दाह–संस्कार कर दिया था और उन्होंने लड़की के परिवारीजन के आने पर घर पर हंगामा काटना शुरू कर दिया था तथा थाने पर जाकर हमारे परिवार वालों के विरूद्ध मुकदमा लिखा दिया था। मेरे लड़के कन्धई की शादी हुए करीब 10–11 साल हो गये थे, जब वह खत्म हुई थी। पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था।''

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू07 राम मनोहर** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

''दिनांक 22.08.2018 को मैं थाना सदरपुर में बहैसियत हे0मो0 के पद पर तैनात था। उस दिन मेरी थाना कार्यालय में कार्यलेख में ड्यूटी थी। उस दिन प्रार्थी प्यारेलाल पुत्र खुशीराम एक हस्तलिखित तहरीर स्वयं का निशानी अंगूठा लगा हुआ लाकर थाना कार्यालय में मुझे प्राप्त करायी थी। जिसका अवलोकन करके अक्षरशः कम्प्यूटर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर कां० योगेन्द्र कुमार को बोल–बोल कर

टाइप कराकर कम्प्यूटरीकृत प्रिन्ट ऑउट निकलवाया था। उक्त तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 209ध्2018, अन्तर्गत धारा 302,201 भा०दं०सं० बनाम कन्धई आदि का उपरोक्त प्रिन्ट ऑउट निकलवाया था, जो शामिल पत्रावली आज मेरे सामने है, जिसकी एक प्रति वादी मुकदमा प्यारेलाल को भी दी गयी थी। उपरोक्त वाद से सम्बन्धित घटना का खुलासा रपट सं०–15 समय 10.35 बजे दिनांक 22.08.2018 को उसी क्रम में कम्प्यूटर ऑपरेटर उपरोक्त को बोलकर करवाया था, जिसका प्रिन्ट ऑउट शामिल पत्रावली आज मेरे सामने है, जिसकी पुष्टि कर मैं आज अपने हस्ताक्षर बनाता हूँ। चिक एफ०आई०आर० पर प्रदर्श क–5 व कम्प्यूटरीकृत जी०डी० के प्रिन्ट ऑउट पर प्रदर्श क–6 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''

राज्य की ओर से **विद्वान डी.जी.सी.(क्रिमिनल) ने बहस** के दौरान तर्क दिया कि अभियोजन ने अपना केस पूर्ण रूप से साबित किया है। अभियोजन के तथ्य के साक्षी पी0डब्ल्यू–1 प्यारे लाल, पी0डब्लू02 राम प्यारी एवं पी0डब्लू03 पप्पू, पी0डब्लू04 सुनील कुमार ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से साबित किया है। अभियोजन पक्ष के तथ्य के साक्षीगण से बचाव पक्ष द्वारा की गयी विस्तृत जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जो अभियोजन कथानक के प्रतिकूल हो। उक्त साक्षीगण के विश्वसनीय व सत्यनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोष सिद्ध किया जा सकता है।

विद्वान डी.जी.सी.(क्रिमिनल) ने यह भी कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा घटना के पश्चात् तुरन्त ही तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है जिससे अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता व सत्यता को बल मिलता है तथा उसमें किसी प्रकार की सलाह–मशविरा की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।

विद्वान डी.जी.सी.(क्रिमिनल) ने यह भी कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में मृतका के शव को साक्ष्य विलोपन हेतु वादी मुकदमा व उसके परिवार के सदस्यो को कोई सूचना दिये बिना शव को जला दिया गया है। मृतका के पिता वादी मुकदमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया है तथा मृतका की मृत्यु अभियुक्तगण द्वारा की गयी दुष्प्रेरण का परिणाम है। विवेचक द्वारा अभियुक्तगणों के विरूद्ध घटना के तथ्य को सही पाते हुए उनके विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया है। अतः उपरोक्त समस्त आधार पर अभियोजन पक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अपना केस युक्तियुक्त सदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित करने की याचना किया है।

अभियोजन कथानक का खण्डन करते हुए **बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता** ने अभियोजन कथानक को मनगढन्त व काल्पनिक तथ्यों पर आधारित होना बताया तथा अभियुक्तगण के द्वारा कोई अपराध कारित करना नहीं बताया है। बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन साक्षीगणो ने अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्यो के साक्षीगण ने मृतका की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण होना स्वीकार किया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के तथ्यों के साक्षीगणों के बयानों में महत्वपूर्ण व तात्विक विरोधाभाष है जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदिग्ध एवं अविश्वसनीय प्रतीत होता है। अतः ऐसे अविश्वसनीय व असत्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोष सिद्ध करना न्यायोचित व न्यायसंगत नहीं होगा। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने की याचना किया है।

प्रश्नगत मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या कथित तिथि, समय व स्थान पर ऐसी घटना घटित हुई जिसमें अभियुक्तगण की उपस्थित व संलिप्तता साक्ष्य से साबित है, जैसा कि अभियोजन कथानक है ? उक्त के सम्बंध में यह भी विचारणीय है कि यदि इस प्रकार की कोई घटना अस्तित्व में रही है तो क्या अभियोजन इसे पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये साक्ष्यो से युक्ति युक्ति ढंग से एवं सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है?

उपरोक्त आवश्यक तत्वों के आलोक में अभियोजन कथानक तथा अभियोजन साक्षीगणों के बयानों का अवलोकन किया।

अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू01 के रूप में वादी मुकदमा प्यारे लाल** को परीक्षित कराया गया है जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर प्रदर्श क–1 में उल्लिखित कथनो के परिप्रेक्ष्य में परस्पर विरोधाभाषी कथन किये गये है जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन नही होता है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **जिरह** की गयी है। जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि **" मेरी लड़की से उसके पति, देवर रमेश व रमापति व ससुर देशराज ने कभी मेरी बेटी शकुन्तला देवी का न तो प्रताड़ित किया और न कभी मुझसे प्रताड़ित करने के सम्बंध में बात बतायी थी।"** आगे साक्षी ने जिरह में यह भी कथन किया है कि विवेचक द्वारा थाने पर बुलाकर पूर्व लिखे कागज पर निशानी अगूँठा लगवाया गया

था। साक्षी द्वारा मृतका की मृत्यु की सूचना दामाद कंधई द्वारा दिया जाना कहा है तथा यह कहा है कि शकुन्तला की मृत्यु हार्ट अटैक होने के कारण हुई थी। साक्षी द्वारा जिरह में यह भी कथन किया गया है कि वह अपने परिवार के साथ लड़की की ससुराल गया था तथा उसकी मौजूदगी में शकुन्तला देवी की लाश का अन्तिम संसकार हुआ था। साक्षी द्वारा अपनी जिरह में विवेचक द्वारा लिये गये बयान अर्न्तगत धारा 161 दं0प्र0सं0 से भी इंकार किया गया है। साक्षी ने घटना के बावत विवेचक द्वारा कोई बयान लिये जाने से इंकार किया गया है तथा अपनी निशादेही पर विवेचक द्वारा नक्शा नजरी बनाये जाने से इंकार किया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है तथा इस साक्षी के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि उक्त साक्षी कथित घटना की चश्मदीद साक्षी नही है। ऐसी स्थिति में इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तगण की कथित घटना में संलिप्तता साबित नही होती है।

अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू02 के रूप में राम प्यारी** को परीक्षित कराया गया है जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथित घटना को देखे जाने से इंकार किया गया है तथा कथन किया है कि जब वह लोग पहुचे तो लाश जल चुकी थी। साक्षी द्वारा विरोधाभाषी कथन किये गये है। उक्त साक्षी कथित घटना का चश्मदीद साक्षी नही है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है जिरह में साक्षी ने कहा है कि **'' मेरी लड़की ने शादी से मरने तक कभी कोई पति, देवरो व ससुर के द्वारा डॉटने व प्रताड़ित करने की बात कभी नही बतायी थीं।'' साक्षी ने मृतका की मृत्यु हार्ट अटैक हो जाने के कारण मृत्यु होने का कथन किया है।** इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है तथा इस साक्षी के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि उक्त साक्षी कथित घटना की चश्मदीद साक्षी नही है जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन नही होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण की कथित घटना में संलिप्तता साबित नही होती है।

अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू03 के रूप में पप्पू** को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि ''आज से लगभग 09 माह पूर्व मेरी बहन शकुन्तला व बहनोई कन्धई के मध्य रात्रि में किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था। तभी मेरी बहन ने गुस्से में आकर गाँव के बाहर आम के पेड़ में जाकर फांसी लगा ली थी। मेरी बहन के ससुर, देवर, पति कन्धई आदि ने बिना हम लोगों को सूचना दिए रात में ही लाश को जला दिया था। जब

मेरे पिताजी व अन्य परिवारीजनों को दिनाँक 22.08.2018 को प्रातः जानकारी हुई तब हम लोग अपनी बहन की ससुराल गये, तो मेरी बहन की चिता जल रही थी और पति व उनके दोनों देवर व ससुरालीजन घर पर कोई मौजूद नहीं था और भाग गये थे। तब मुझे व मेरे माता–पिता आदि को शक हुआ कि मेरी बहन की हत्या कर पति, देवर, ससुर आदि ने मिलकर शव को जला दिये हैं। मेरे पिताजी ने थाने जाकर एक प्रार्थनापत्र दिया था और हत्या करने का मुकदमा लिखाया था। लेकिन मुझे बाद में जानकारी हुई कि मेरी बहन शकुन्तला ने अपने पति, देवर, ससुर से हुए झगड़े के कारण पीड़ित होकर स्वयं रात्रि में फांसी लगा ली थी, जिससे वह मर गई थी। मेरी बहन को कन्धई, रमेश, रमापति व देशराज ने मिलकर पुलिस को बिना सूचना दिये मेरी बहन की लाश को जला दिया था। '' आगे इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया है कि **'' मेरी बहन शकुन्तला देवी ने शादी से मरने तक मुझसे कन्धई, व कन्धई के दोनो भाई व कंधई के पिता देशराज कभी मेरी बहन को न तो प्रताड़ित किया और न कभी मारा पीटा और न मुझसे कभी आपस में झगड़ा करने के बावत बात नही बतायी। मेरी बहन को हार्ट अटैक हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी और उसके पति व घर के लोगो ने मरने की सूचना रात में ही दे दिया था''** साक्षी द्वारा आगे यह भी जिरह में स्वीकार किया गया है कि उसने विवेचक को कभी बयान नही दिया था तथा मुख्य परीक्षा में जो बयान दिया था वह पुलिस के दबाव में दिया था। इस साक्षी का साक्ष्य आपस में परस्पर विरोधाभाषी है जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रतीत होता है। साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नही होने से कथित घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता साबित नही होती है।

अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू04 के रूप में सुनील कुमार** को परीक्षित कराया गया है, जो कि मृतका का भाई है, जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथित घटना वाले दिन अपनी बहन के द्वारा गुस्से में आकर गॉव के बाहर आम के पेड़ में फॉसी लगाकर आत्महत्या किये जाने का कथन किया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह किये जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि उसकी **बहन शकुन्तला देवी को शादी से मरने तक उससे कन्धई, रमेश, रमापति व ससुर देशराज ने न तो कभी मारा पीटा और न कभी प्रताड़ित किया था। साक्षी द्वारा मृतका की मृत्यु हार्ट अटैक से होना बताया है।** इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक का समर्थन नही होता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी0डब्लू05 के रूप में निरीक्षक सूर्यबली** को परीक्षित कराया गया है जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना किया जाना कहा है। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अ०सं०–209/2018, अन्तर्गत धारा–302,201 भा०दं०सं० सम्बन्धित थाना सदरपुर बनाम कन्धई आदि, को अपनी अदम मौजूदगी में पंजीकृत होना तथा दौरान विवेचना नकल चिक, नकल रपट प्राप्त कर अवलोकन कर केस डायरी में अंकित किया जाना कहा है। दौरान विवेचना साक्षी द्वारा दोनो नक्शा नजरी को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना तथा प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–3 के रूप में प्रमाणित किया गया है। विवेचना एवं बयान साक्षियों के आधार पर धारा 302 भा०दं०सं० का अपराध होना नहीं पाये जाने पर धारा 302 भा०दं०सं० की घटोत्तरी कर धारा 306 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विवेचना भा०दं०सं० की धारा 306,201 के अन्तर्गत प्रारम्भ की गयी थी। सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर पर्याप्त साक्ष्य अन्तर्गत धारा 306,201 भा0दं0सं0 का पाये जाने पर अभियुक्तगण कन्धई, रमेश, रमापति व देशराज के विरूद्ध आरोप पत्र सं०–211/2018 न्यायालय में प्रेषित किया जाना कहा है जिसे प्रदर्श क–4 के रूप में प्रमाणित किया गया है। चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यो के साक्षीगणो ने अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है। उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है। अतः उक्त साक्षी के बयानो का कोई लाभ अभियोजन को प्राप्त नही होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी0डब्लू06 के रूप में मायावती** को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा कथित घटना वाले दिन घर पर नही होना दवा लेने जाना तथा दिनॉक 21.08.18 को रमेश के साथ दोपहर के समय घर वापस आना कहा है। यह साक्षी भी कथित घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नही है। इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक का समर्थन नही होता है और न ही कथित अपराध में संलिप्तता अभियुक्तगण की साबित होती है।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी0डब्लू07 के रूप में एच.एम.राम मनोहर वर्मा** को परीक्षित कराया गया है जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथित घटना की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–5 के रूप में तथा कम्प्यूटरकृत जी.डी. को प्रदर्श क–6 के रूप में प्रमाणित किया गया है। उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है जिसके साक्ष्य से मात्र अभियोजन प्रपत्रो की प्रमाणिकता प्रमाणित होती है। चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यो के साक्षीगणो ने अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया

है। उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है। अतः उक्त साक्षी के बयानो का कोई लाभ अभियोजन को प्राप्त नही होगा।

ऐसी स्थिति में वर्तमान मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य की उपरोक्त समीक्षा से न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्त **कन्धई, रमेश, रमापति एवं देशराज** द्वारा दुष्प्रेरण से मृतका शकुन्तला देवी द्वारा गले में फॉसी का फंदा लगाकर मृत्यु कारित करने व मृतका की मृत्यु के पश्चात मृतका के शव को जला दिये जाने का आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है।

अतः अभियुक्त **कन्धई, रमेश, रमापति एवं देशराज** आरोपित अपराध अर्न्तगत धारा 306,201 भा0दं0सं0 से दोष मुक्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण कन्धई, रमेश, रमापति एवं देशराज को धारा 306, 201 भा0द0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके जमानतनामें व व्यक्तिगत बंध पत्र निरस्त कर प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांकः 16.05.2026

(आशीष जैन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीतापुर।
(J.O.Code UP02024)

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 16.05.2026

(आशीष जैन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीतापुर।
(J.O.Code UP02024)

अजीत.